समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

फोन नं0–(06183)222335(R),222336(O)
ई–मेल – dm-buxar.bih@nic.com

मो0 नं0– 8544426112
ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com

आदेश

सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 1469/खाद्य दिनांक 24.03.2020 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण के आलोक में स्वास्थ्य विभाग, बिहार, सरकार के आदेश ज्ञापांक 115 दिनांक 22.03.2020 के द्वारा बिहार में लॉक डाउन आदेशित किया गया है। उक्त आदेश के कंडिका–3 के उप कंडिका–V (खाद्यान्न एवं किराने के प्रतिष्ठान) उपकंडिका–VIII (पेट्रोल पम्प एवं सी0एन0जी0 स्टेशन), उपकंडिका–IX (एल0पी0जी0 गैस एजेन्सी) को इस आदेश की परिधि से बाहर रखा गया है एवं कंडिका–4 में लॉक डाउन अवधि के दौरान माल वाहक वाहनों के परिचालन की अनुमति दी गयी है। अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में कोरोना वायरस एवं वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए वर्णित आवश्यक वस्तुओं के प्रबंधन हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जाते है :–

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं एवं उनके उपार्जन एवं भण्डारण में आवश्यक सामग्रियों का संचालन, भण्डारण एवं वितरण निर्बाध रूप से कराते हुए इस हेतु संलग्न वाहनों का परिचालन सुनिश्चित किया जाय।
2. खाद्यान्नों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं की लोडिंग–अनलोडिंग निर्बाध रूप से सुनिश्चित करायी जाय।
3. विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति योजना के अन्तर्गत अधिप्राप्ति धान की राईस मिलिंग एवं भण्डारण के लिए लोडिंग–अनलोडिंग एवं परिवहन निर्बाध रूप से सुनिश्चित करायी जाय।
4. जिला में सरकारी तेल कंपनी (IOCL, HPCL, BPCL) के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पेट्रोल पम्प एवं सी0एन0जी0 स्टेशन पर पेट्रोल, डीजल, सी0एन0जी0 आम जनों को उपलब्ध कराने के साथ–साथ एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डरों की उपलब्धता तथा उपभोक्तओं के वितरण हेतु उसके भण्डार एवं वितरण व्यवस्था की समीक्षा की जाय।
5. खाद्यान्न (पी0डी0एस0 एवं सी0एम0आर0) एवं पेट्रोलियम उत्पाद (पेट्रोल, डीजल, सी0एन0जी0 तथा एल0पी0जी0 घरेलू गैस) के परिवहन हेतु लगे वाहनों का संचालन अंतरजिला एवं जिला के अन्दर बाधित न हो, यह सुनिश्चित किया जाय।
6. खाद्यान्न (पी0डी0एस0 एवं सी0एम0आर0) के गोदामों तथा पेट्रोल पम्पों तथा गैस एजेन्सी के गोदामों/प्रतिष्ठानों को बन्द नही किया जाय।
7. एल0पी0जी0 गैस के वितरण, वितरक द्वारा नियुक्त डिलेवरी ब्यॉय/भेण्डर के माध्यम से करायी जाय जो वर्दी एवं परिचय पत्र के साथ हो।
8. खाद्यान्न (पी0डी0एस0 एवं सी0एम0आर0) एवं पेट्रोलियम उत्पाद (पेट्रोल, डीजल, सी0एन0जी0 तथा एल0पी0जी0 घरेलू गैस) के वाहन कर्मचारियों एवं डिलेवरी ब्यॉय एवं भेण्डर तथा सरकारी

तेल कम्पनी (IOCL, HPCL, BPCL) के पदाधिकारियों को उनके द्वारा परिचय पत्र दिखाये जाने पर उनका आवागमन बाधित नही किया जाय।

अतः इस संबंध में निदेशित किया जाता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए आवश्यक सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेसिंग), सेनेटाईजेशन का पालन करते हुए सरकार के उपरोक्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला पदाधिकारी
बक्सर।

ज्ञापांक 04–29 मु0/आ0 दिनांक 27/03/2020

प्रतिलिपि :– चेम्बर ऑफ कॉमर्श, बक्सर/बक्सर व्यवसायी संघ/फेयर पाईस डीलर्स एसोशिएसन, बक्सर/सभी किरासन तेल थोक विक्रेता/अन्य सभी थोक एवं खुदरा व्यवसायी संघ, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, रेडक्रॉस सोसाइटी, बक्सर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, बक्सर/आई0टी0 मैनेजर, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अचंलाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बक्सर/जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर/जिला सहकारिता पदाधिकारी, बक्सर/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, जिला बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपूर्ति शाखा, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी
बक्सर।